राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या –6/2013–14

दिनांक : 30.08.2013

क. विज्ञापन सं.– 02/परीक्षा/2013–14 दिनांक : 18.06.2013 के अन्तर्गत **राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013** के संबंध में यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

1. शासन द्वारा उक्त विज्ञापन के विभिन्न राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत विज्ञापित. पदों की संख्या अब निम्नानुसार हो गयी हैं–

	पूर्व विज्ञापित पद	वर्तमान पद
राज्य सेवा		
राजस्थान पुलिस सेवा	–	46
राजस्थान श्रम कल्याण सेवा (श्रम कल्याण अधिकारी)	–	16
राजस्थान परिवहन सेवा	2	23
राजस्थान बीमा सेवा	3	19
अधीनस्थ सेवा		
राजस्थान श्रम कल्याण सेवा (श्रम निरीक्षक)	–	151

इस प्रकार उक्त विज्ञापन के तहत राज्य सेवाओं के अन्तर्गत कुल पदों की संख्या 233 के स्थान पर अब 334 एवं अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत कुल पदों की संख्या 490 के स्थान पर अब 641 हो गई है।

2. राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा के 151 पद पूर्णतः नवीन रूप में सम्मिलित किए जा रहे हैं और इसमें विभागीय कर्मचारी को निर्धारित आरक्षण का लाभ देय होगा। श्रम कल्याण विभाग में कार्यरत जिन मंत्रालयिक कर्मचारियों ने उक्त परीक्षा हेतु आवेदन किया है वे यदि विभागीय कर्मचारी को देय लाभ का उपयोग करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति संलग्न अथवा अपना आवेदन पत्र क्रमांक अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को दिनांक 15 सितम्बर, 2013 तक भिजवा दें, अन्यथा उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकेगा। पदों का प्राथमिकता क्रम मुख्य परीक्षा के बाद पुनः भरवा लिया जाएगा।

ख. विज्ञापन संख्या : 7/2011–12 दिनांक 20.09.2011 के अन्तर्गत **सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2011** के संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि:–

1. शासन द्वारा विज्ञापित 33 पदों में 16 और पदों की वृद्धि करते हुए अब कुल 49 पदों का वर्गवार वर्गीकरण प्रेषित किया है जो कि निम्नानुसार है :–

कुल पद	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछडा वर्ग				विशेष पिछडा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता (2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता (2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता (2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता (2 प्र.श.)	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा (8 प्र.श.)	परित्यक्ता(2 प्र.श.)
49	19	5	2	1	5	2	–	–	4	1	–	–	7	3	–	–	–	–	–	–

2. राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 का नियम 24 के अनुसार आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अनिवार्य विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक एवं एकीकृत रूप में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार 60 अंकों का होगा।

ग. विज्ञापन संख्या : 3/2013–14 दिनांक 26.07.2013 के अन्तर्गत **लिपिक ग्रेड–II प्रतियोगी परीक्षा, 2013** के संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि द्वितीय फेज परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर तत्समय आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध कराए जाएंगे, उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है ।

घ. विज्ञापन संख्या : 4/2012–13 दिनांक 07.03.2013 के अन्तर्गत ***सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013*** के संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त पदों की मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र की अवधि **तीन घण्टा** होगा।

उक्त विज्ञापनों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(डॉ. के.के. पाठक)
सचिव